

जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 01-09-2021

आज दिनांक 01.09.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की गयी कार्यवाही के अन्तर्गत 35.2 लीटर

अवैध कच्ची शराब बरामद, 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 10 ली0 व 26 शीशी अवैध लैला कच्ची शराब प्रत्येक शीशी में 200मिली (कुल 15.2 ली0) लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ क्रमशः 02 अभियुक्त नाम पता 1 – चन्द्रभान पुत्र राजाराम निवासी निघुरी 2 – सुनील यादव पुत्र बुद्धु निवासी झुड़िया थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर क्रमशः मु0अ0सं0 160/ 2021 व 161 / 2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- हे0का0 धर्मनाथ यादव, का0 बहादुर सिंह, का0 राजकुमार यादव, का0 राजाराम गुप्ता ।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 10 -10 (कुल 20 ली0) लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ क्रमशः 02 अभियुक्त नाम पता 1 – जितेन्द्र कुमार पुत्र सुरेश निवासी जमोहरा 2 – रामरतन पुत्र बीटे निवासी मधईपुर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना मेंहदावल पर क्रमशः मु0अ0सं0 231/ 2021 व 233 / 2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री जुबेर अली, का0 रामप्रवेश पासवान ।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 01 वारण्टी किया गया गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता रामजी पुत्र रामसुभग निवासी बालूशासन थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- हे0का0 राकेश गुप्ता, का0 ओमप्रकाश ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1492 द्वारा दो पक्षों में मारपीट / विवाद कराया गया शान्त – पीआरवी 1492 को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत मलौली से इवेन्ट संख्या 02518 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 06 मिनट में पहुँचकर मारपीट को शान्त कराया गया तथा मारपीट में घायल महिला (श्रीमती मिल्खा पत्नी हरिराम निवासी लोनियानेकला) को अस्पताल पहुँचाया गया तथा प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना धनघटा के सुपुर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट को शान्त कराकर मारपीट में घायल महिला को अस्पताल पहुँचाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 मनोज कुमार यादव, आ0 जितेन्द्र चौधरी, हो0चा0 दिनेश चन्द ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 120 वाहनो से 88,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 01.09.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 120 वाहनो से 88,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।